भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1103
मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा तृतीयक बिक्री समझौतों में देरी</u>

1103. श्रीमती रंजीत रंजनः श्रीमती फूलो देवी नेतमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य वितरण कम्पनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत तृतीयक बिक्री समझौतों की प्रतीक्षा कर रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों द्वारा विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा या की जा रही देरी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण परियोजनाओं का समय से कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने 50 गीगावाट के वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के लक्ष्य और देश की 2030 की प्रतिबद्दताओँ पर इस बैकलॉग के संभावित प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार वितरण कंपनियों के लगातार घाटे और चूक को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए अधिक विश्वसनीय तृतीयक बिक्री तंत्र और भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुधारों या प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) अर्थात् सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) और एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा मध्यस्थ खरीदार के रूप में दिनांक 30.06.2025 तक जारी निविदाओं के संबंध में, 43,922 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत जिसके लिए आरईआईए द्वारा आवंटन पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं, लेकिन परंतु खरीदारों के साथ विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) सरकार ने विद्युत विक्रय करारों (पीएसए) में तेजी लाने के लिए विभिन्न सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) के अनुपालन के लिए राज्यों को समझाना, निविदाएं आमंत्रित करने से पहले डिस्कॉमों/अन्य उपभोक्ताओं से समग्र मांग पर विचार करने

और तदनुसार उत्पादों को डिजाइन करने के लिए आरईआईए को समझाना, चिंताओं का समाधान करने और पीएसए पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने के लिए प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा-खरीद करने वाले राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना, और एलओए की तिथि से 12 माह से अधिक समय के बाद एलओए को रद्द करने का प्रावधान करने की व्यवस्था के लिए सौर, पवन, हाइब्रिड और एफडीआरई (सतत और प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए मानक बोली दिशानिर्देशों में संशोधन करना शामिल है।

(ग) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सचिवालय को भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के भाग के रूप में, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने जून 2025 तक अपनी संचयी विद्युत् स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, अर्थात यह लक्ष्य हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता से पांच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 484.82 गीगावाट है, जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 242.78 गीगावाट अर्थात 50.08% है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 242.78 गीगावाट क्षमता में 116.25 गीगावाट सौर ऊर्जा, 51.67 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.60 गीगावाट जैव (बायो) ऊर्जा, 54.48 गीगावाट जल विद्युत और 8.78 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता शामिल है।

(घ) भुगतान सुरक्षा तंत्र से संबंधित प्रावधानों सहित पीएसए निष्पादन में सफलता के लिए परिवर्तन/सुधारों के संबंध में परीक्षण और सुझाव एक सतत प्रक्रिया है।

*****